

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सं. 56 /2016- सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 462(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 98 क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 43/97-सीमा-शुल्क (गै.टे.) दिनांक 11 सितंबर 1997, जिसे सा.का.नि. 535(अ) दिनांक 11 सितंबर, 1997 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 15/98—सीमा-शुल्क (गै.टे.), दिनांक 27 फरवरी 1998, जिसे सा.का.नि. 92(अ) दिनांक 27 फरवरी, 1998 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा अनन्य रूप से तटीय सामानों के लाने ले जाने वाले जल यानों को उक्त अधिनियम की धारा 92, धारा 93, धारा 94, धारा 95, धारा 97 के प्रावधानों से तथा धारा 98 की उप-धारा (i) के प्रावधानों से छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 450/183/2014-सीमा-शुल्क -IV]

जुबेर रियाज, निदेशक, सीमा-शुल्क

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2016

No. 56/2016-Customs (N.T.)

G.S.R. 462(E).—In exercise of the powers conferred by section 98A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 43/97- CUSTOMS (N.T.), dated the 11th September, 1997, published vide number G.S.R. 535(E), dated the 11th September, 1997 and notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 15/98- CUSTOMS (N.T.), dated the 27th February, 1998, published vide number G.S.R. 92(E), dated the 27th February, 1998, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts vessels carrying exclusively coastal goods from the provisions of section 92, section 93, section 94, section 95, section 97 and sub-section (1) of the section 98 of the said Act.

[F. No. 450/183/2014/-CusIV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

सं. 57/2016- सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 463(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 98 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 30 और 41 के प्रावधान उन सभी जलयानों पर लागू होंगे जो कि अनन्य रूप से तटीय माल को लाते ले जाते हैं और उन बर्थ्स से चलते हैं जिनका प्रयोग आयातित माल या निर्यातित माल को लाने ले जाने वाले जलयानों द्वारा किया जाता है और ऐसे जलयानों का प्रभारी व्यक्ति या उसका अभिकर्ता ऐसे जलयान के पहुंचने या प्रस्थान करने से पूर्व जैसी भी स्थिति हो यथोचित अधिकारी को नीचे दिए गए फार्म में जहाज माल का बीजक प्रस्तुत करेगा।

फार्म

1. जलयान/पत्तन से संबंधित ब्यौरा

जलयान का आईएमओ (इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन कोड)	चक्र सं.	लादान वाला पत्तन	जलयान का प्रकार (जैसे कि अनन्य तटीय यान/विदेशी परिवर्तित तटीय जलयान/भारतीय ध्वज वाले विदेश जाने वाले जलयान)	पत्तन जहां से तटीय कार्गो को निर्यात किया जाना है।

2. पैकेजेस का ब्यौरा (प्रत्येक प्रविष्टि हेतु दिए जाने वाले माल का ब्यौरा- प्रत्येक वाहन/कंटेनर/पैकेजेस का क्रमवार)

क्रम सं.	दस्तावेज संदर्भ सं.	शिपर तथा उसका पता	प्रेषिती और उसका पता	कार्गो का प्रकार	माल का विवरण	बीजक सं./चालान सं.	कंटेनर सं./वाहन सं.	कंटेनर की सील सं.	निर्मुक्तकर्ता पत्तन	सकल भार/निवल भार	टिप्पणी

नोट:- पार्सल सेवा के मामले में शिपर और प्रेषिती दोनों ही कॉलम में सेवा प्रदाता का ब्यौरा दिया जाना चाहिए

3. घोषणा

(1) हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए ब्यौरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही है और हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि ये जिस माल को लादा जा रहा है और उसका परिवहन किया जा रहा है उसके अनुपालन में क्रेता/प्रेषिती के साथ हुए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप है।

(2) हमने संबंधित शिपर्स के सभी ब्यौरे (क्रम सं. से तक में उल्लिखित) तथा साथ में उनसे इसके सत्यापन की घोषणा भी प्राप्त कर लिया है।

स्थान

दिनांक

जलयान के मास्टर या उसके एजेंट के हस्ताक्षर

(नाम तथा मुहर सहित)

[फा. सं. 450/183/2014-सीमा-शुल्क-IV]

जुबेर रियाज, निदेशक, (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2016

No. 57/2016 - Customs (N. T.)

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 98 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of sections 30 and 41 of the said Act shall apply to vessels carrying exclusively coastal goods operating from berths used by vessels carrying imported goods or export goods, as the case may be and the person-in-charge of such vessel or his agent shall deliver to the proper officer, a coastal manifest, prior to the arrival of the vessel or departure as the case may be, in the Form as given below.

FORM**1. Details related to vessels/port**

IMO (International Maritime Organization) code of vessel	Rotation No.	Port of loading	Type of vessel (whether exclusive coastal vessel/ foreign converted coastal vessel/ Indian flag foreign going vessel)	Ports at which coastal cargo to be discharged

2. Details of PACKAGES (Details of goods to be given for each entry; Serial No. wise for each Vehicle/Container/Package)

Sl. No.	Document reference number	Shipper with address	Consignee with address	Nature of cargo	Description of goods	Invoice No./Challan No.	Container No./ Vehicle No.	Seal No. of the container	Port of discharge	Gross wt./ Net wt.	remarks

Note : In case of parcel service, the details of service provider may be furnished in both shipper and consignee column.

3. Declaration.-

(1) We declare that details mentioned above are stated to the best of our knowledge and belief and we certify that they are in accordance with the terms of contract entered into with the buyer/consignee in pursuance of which the goods are being loaded and transported.

(2) We have collected the particulars of the consignments (mentioned at SI. Nos. ____to____above) from the respective shippers along with the declaration from them certifying their correctness.

Place :

Date :

Signature of Master of vessel
or his agent
(with name and seal)

[F. No.450/183/2014/-Cus-IV]
ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)